

①



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

52AC 036481

कार्यालय-उप-निर्वाहक द्वितीय-सहायकी
 द्वारा भकत संख्या 6/50 2014 में शीखपत्र
 संख्या..... 8432 2014..... श्री
 सत्यापित संख्या..... 32.....
 पन्नों में जारी की गई।

[Signature]
 अधिकारी / इलाहाबाद / राधिका कौ.
 नि.नि. नि.नि. नि.नि.
 कौशिक श्री / आर.ए.ए.ए.ए. / श्री. श्री. श्री.
 नि.नि. नि.नि. नि.नि.

[Signature]
 100 नि.नि. कौशिक

8432/14

2



सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL
Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

Certificate No.	: IN-UP00703911224581M
Certificate Issued Date	: 06-Nov-2014 12:31 PM
Account Reference	: SHCIL (Fly upshcil01/ VARANASI1/ UP-VNS
Unique Doc. Reference	: SUBIN-UPUPSHCIL0100843351458784M
Purchased by	: RAMESTH INFRASTRUCTURE Pvt Ltd
Description of Document	: Article 5 Agreement or Memorandum of an agreement
Property Description	: ARAZI No-MI-60,MI-61,MI-62,MI-63, MAUZA-DAFI, DEHAT AMANAT, VARANASI
Consideration Price (Rs.)	: 0 (Zero)
First Party	: SHAILESH CHAND
Second Party	: RAMESTH INFRASTRUCTURE Pvt Ltd
Stamp Duty Paid By	: RAMESTH INFRASTRUCTURE Pvt Ltd
Stamp Duty Amount(Rs.)	: 7,00,000 (Seven Lakh only)



770000
219840

550060
M

Please write or type below this line.....

श्रीमेश चंद्रशंकर

 श्रीमेश चंद्रशंकर

Raj Singh

Raj Singh

0000360927

Statutory Alert

- The authenticity of this Stamp Certificate (physical version) at www.e-stamping.gov. Any discrepancy in the details of this Certificate and as available on the website renders it invalid.
- The duty of checking the responsibility lies on the users of the certificate.
- In case of any discrepancy, please inform the Competent Authority.


प्रमाणित श्री०
निर्वाह
श्री०
मोहोर
श्री०
मोहोर

श्री०-11 प्रमाणित

अशोक श्रीवा / इरकान अहमद / करीफान श्री
 नि.दि. नि.दि. नि.दि.
 सतीश श्री / आर.ए. गणेश / राजेश श्रीवा
 नि.दि. नि.दि. नि.दि.

श्री०-11 प्रमाणित
 4
 श्री०-11 प्रमाणित

GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH
उत्तर प्रदेश सरकार





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AY 027150



श्रीले श्याम प्रसाद सिंह



श्रीले रामचन्द्र प्रसाद सिंह

विलेख विकास अनुबन्ध-डेवलपर डीड:

श्रीले श्याम प्रसाद सिंह एवं श्रीले रामचन्द्र प्रसाद सिंह निवासी ग्राम गणेशपुर झरना, पोस्ट-झरना, पटना-23, बिहार राज्य, तहसील व जिला-वाराणसी।

.....प्रथमपक्ष/जमीन मालिक

व

श्रीले श्याम प्रसाद सिंह एवं श्रीले रामचन्द्र प्रसाद सिंह (जरीये विदेशक राजीव रंजन कुमार सिंह पुत्र श्री मायूल प्रसाद सिंह) को-आपरेटिव कालोनी, पश्चिमी पटेल नगर पटना-23, बिहार राज्य नम्बर U45200BR2011PTC017578 of 2011-12,

.....द्वितीयपक्ष/डेवलपर क्लियर

श्रीले श्याम प्रसाद सिंह



श्रीले श्याम प्रसाद सिंह

Ram Singh



Ram Singh

जरीये श्री. / इन्कान अरुन / शिवालय
नि.लि. नि.लि. नि.लि.
श्री. / श्री. / श्री. / श्री.
नि.लि. नि.लि. नि.लि.


पदनेपाल - श्री. / श्री. / श्री.
नि.लि. नि.लि. नि.लि.
शुभेपाल - श्री. / श्री. / श्री.
नि.लि. नि.लि. नि.लि.

1166
 02/11/2014
 रमेश कुमार शर्मा
 2101 राजेंद्र कुमार शर्मा रोड ओ
 अपरिहार लोदी पार्क
 परतनगर पटना मिहार

मैं एतद्वारा यह घोषणा करता/करती हूँ कि
 यह फोटो स्टेट प्रतिलिपि मूल लेखपत्र की सत्य
 एवं सही प्रति है।
 दिनांक 11/11/2014 निष्पादक (R)

संज्ञे 1-4-3244

Ramesh Singh





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AY 027151

2


विदित हो कि आराजी नम्बर मि० 60 रकबा 0.07 एयर व आराजी नम्बर मि० 61 रकबा 0.04 एयर व आराजी नम्बर मि० 62 रकबा 0.76 एयर व आराजी नम्बर मि० 63 रकबा 0.58 एयर यानि कुल 4 गाटा रकबा 0.145 एयर यानि 11.6 बिस्वा यानि 15776 वर्गफीट यानि 1466.17 वर्गमीटर स्थित मौजा काशी, परबना देहात अमानत, तहसील व जिला-बाराणसी का अधालत मिटिकयत इन प्रबन्धन की तन्हा सम्पत्ति है, तथा प्रबन्धन उपरोक्त जायदाद पर बारीक एकमात्र स्वामी व दालदिक रूप से अध्यासित रह कर उसका उपयोग-उपभोग अपनी इच्छानुसार करते चले आ रहे है। प्रबन्धन इस बात की भी घोषणा करते व पुष्टि करते है कि उपरोक्त भूमि हर प्रकार के बन्देन एवं लब्धा सुर्ही धार्ज वलेन व भार से पूरी तरह मुक्त है और इसके सम्बन्ध में किसी विभाग या न्यायालय ने किसी भी प्रकार का कोई कार्यवाही विचारणीय नहीं है उपरोक्त कारण से प्रबन्धन अपनी उक्त सम्पत्ति का अपनी इच्छानुसार उपयोग व उपभोग करने अथवा अन्तरित करने का एकमात्र अधिकारी है। प्रबन्धन भू-स्वामी अपनी उक्त भू-सम्पत्ति को विकसित करके इजाजत बनावे हेतु इच्छुक है पर न्यु गिल की कमी तथा तकनीकी निर्माण का अनुभव व होने के कारण स्वयं उक्त कार्य व योजना को सुरु रूप देने में अपने को अशक्य पा रहे है। प्रबन्धन ने निर्माण कार्य व विकास कार्य करने हेतु द्वितीयपक्ष से सम्पर्क किया जिसपर भू-स्वामी को ज्ञात हुआ कि द्वितीयपक्ष विकासकर्ता के ऐसे कामपलेक्स के विकास करने एवं निर्माण करने का वृहद अनुभव है एवं तकनीकी व वित्तीय रूप से भी उत्तम होने के कारण बहुमंजिली इजाजत का निर्माण करने व विकसित करने में भी सक्षम है। द्वितीयपक्ष की उपरोक्त

श्री 21-405210



श्री 21-405210

श्री 21-405210
Ravi Singh



Ravi Singh

अशोक शीमा / इन्फान्त डायरेक्ट / सशिकान्त श्री
मि.लि. मि.लि. मि.लि.
सतीश श्री / मि.लि. / सशिकान्त श्री
मि.लि. मि.लि. मि.लि.

पुनर्विक्रय - पुनर्विक्रय / अशोक श्री
मि.लि. मि.लि.
पुनर्विक्रय - पुनर्विक्रय / सशिकान्त श्री
मि.लि. मि.लि.

अपि 11, बाराणसी

अपि 11, बाराणसी

क्याक साधु
 चामुण्डा विद्यापीठ
 काठमाडौं

1165
 00/11/2014

रिमोट इकाई प्रमाणित कि 0 करि के सिदेश
 20001 रजिस्ट्रार कार्यालय-1 सिंह
 आधिकारिक को अपरेटिव कालोनी पटेल नगर पटना
 बिहार

विक्रय अनुबंध विवेक
 10,997,000.00 10,000.00 40 10,040.00 2,000

प्रतिफल मासिक अग्रिम धनराशि
 श्री श्रीलेश चन्द श्रीलेश चन्द
 पुत्र श्री स्व० अमवेश सिंह
 व्यवसाय कृषि
 निवासी स्वामी नारायनपुर डाफी देहात अमानत बाराणसी
 अस्थापी पत्र
 ने यह लेखक इन कार्यबन्ध में दिनांक 11/11/2014 समय 1:47PM
 बने निबन्धन हेतु पेश किया।



रजिस्ट्रार अधिकारी के हस्ताक्षर
 महेन्द्र प्रताप यादव
 SRO2
 Sub Registrar-II VNS
 11/11/2014

विधायन लेखपत्र काद गुन्ने व मखाने बजतन व प्राप्ता धनराशि रु. फ़ोनोकांता उक्त
 विवेक

श्री श्रीलेश चन्द श्रीलेश चन्द
 पुत्र श्री स्व० अमवेश सिंह
 पेशा कृषि
 निवासी नारायनपुर डाफी देहात अमानत बाराणसी



श्री रामेश्वर इकाई प्रमाणित जरिये राजीव रंजन कुमार
 सिंह
 पुत्र श्री नाथून प्रसाद सिंह
 पेशा व्यापार
 निवासी को अपरेटिव कालोनी पटेल नगर पटना
 बिहार



ने विधायन स्वीकृत किया।
 निम्नी पक्ष श्री राजीव शय
 पुत्र श्री शिशुशगर शय
 पेशा व्यापार

निवासी टिकरी देहात अमानत बाराणसी
 व श्री सुनील कुमार
 पुत्र श्री माधव गोविन्द शय
 पेशा व्यापार
 निवासी दोस्तनगर बुनेर पटना बिहार
 ने की। सुनील कुमार
 प्रत्यक्ष मूल अधिकारी के निमित्त उक्त विधायनता सिंगे गये हैं।



रजिस्ट्रार अधिकारी के हस्ताक्षर
 महेन्द्र प्रताप यादव
 SRO2
 Sub Registrar-II VNS
 11/11/2014



5

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AY 027101

3

क्षमता व अनुभव से अवगत होने एवं संतुष्ट होने व उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए प्रथमपक्ष ने अपने परिवार के सभी सदस्यों से विकास अनुभव के बावजूद राय मशविरा करके तथा परिवार के सभी सदस्यों से सहमति प्राप्त करके द्वितीयपक्ष विकासकर्ता से अपनी उक्त सम्पत्ति भू-खण्ड को विकसित करके उसपर बहुमजिली इमारत निर्मित करने एवं विकास की योजना को विकास प्रधिकरण से मान्यता स्वीकृत करवाकर मूल रूप देने का निवेदन व प्रस्ताव रखा व द्वितीयपक्ष ने प्रथमपक्ष को इस दस्तावेज के अन्त में वर्णित सम्पत्ति का विकास करने व बहुमजिली इमारत निर्मित करने हेतु अपनी सहमति व्यक्त किया। इस प्रकार प्रथमपक्ष ने द्वितीयपक्ष विकासकर्ता को विमोचन व विकास कार्य करने हेतु अपनी सहमति व स्वीकृति दिया। अतः विकासकर्ता ने भू-स्वामी से बहुमजिली इमारत (कम्प्लेक्स) की कार्य योजना तैयार कर वास्तवी विकास प्रधिकरण से मान्यता स्वीकृत करवाकर निर्माण कार्य प्रारम्भ करने हेतु भू-स्वामी प्रथमपक्ष से सविदा कर प्रथमपक्ष भू-स्वामी की सहमति प्राप्त कर ली है। अतः प्रथमपक्ष के मध्य उक्त विकास योजना के सम्बन्ध में जो शर्त व सविदा हुई है को लिपिबद्ध किया जाना नित्य आवश्यक है। तदनुसार प्रथमपक्ष स्वीकृत शर्तों एवं सविदा के सम्बन्ध में यह विवेक निष्पादित कर अपने-अपने को व अपने-अपने उत्तराधिकारियों एवं स्वामियों को विन्मोचित शर्तों से आबद्ध करते व होते है -

1. यह कि प्रथमपक्ष भू-स्वामी ने द्वितीयपक्ष विकासकर्ता को यह विश्वास दिलाया है कि -

शिलोश-पु-5214



शिलोश-पु-5214

FRAGMENTS PVT. LTD.

Ravi Singh

2018/11/18



Ravi Singh

अशोक शीला / इरफान अकबर / शक्तिशाली की
नि.नि. नि.नि. नि.नि.
शक्तिशाली / इरफान अकबर / शक्तिशाली की
नि.नि. नि.नि. नि.नि.

30 नोव 18, बतगली

बटनेवाला - रजिस्ट्रार / जलिन सिंह
नि.नि. नि.नि. नि.नि.
बटनेवाला-रजिस्ट्रार / शक्तिशाली की
नि.नि. नि.नि. नि.नि.

30 नोव 18 बतगली



6

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AY 027102

4

अ. यह कि प्रथमपक्ष आराजी नम्बर मि० 60 रकबा 0.07 एयर व आराजी नम्बर मि० 61 रकबा 0.04 एयर व आराजी नम्बर मि० 62 रकबा 0.76 एयर व आराजी नम्बर मि० 63 रकबा 0.58 एयर यानि कुल 4 गांठ रकबा 0.145 एयर यानि 11.6 बिस्वा यानि 15776 वर्गफीट यानि 1466.17 वर्गमीटर स्थित मौजा हाफी, परगना देहात अनाबत, सहसूल व जिला-वाराणसी का स्वामी है एवं प्रथमपक्ष की उक्त सम्पत्ति जिसका विवरण इस दस्तावेज के अन्त में दर्जित है हर तरह के वास्टेन खदान कुकी चार्ज वगैरह से पाक साफ बेकलिश है और प्रथमपक्ष की उक्त सम्पूर्ण सम्पत्ति भू-खण्ड के बाह्य विवाद या हद किसी न्यायालय वा किसी अधिकारी वा विभाग में विधाराधीन नहीं है और प्रथमपक्ष की उक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में कभी कोई कुकी वा अर्ज वा भी कोई नोटिस जारी नहीं हुई है न ही कही इत्यन्त है। अपितु प्रथमपक्ष की उक्त सम्पूर्ण सम्पत्ति पाक साफ व बेकलिश है और बखत होने एकाग्र स्वामी प्रथमपक्ष को द्वितीयपक्ष/विकासकर्ता के साथ विलेख विकास अनुबन्ध करने का अधिकार प्राप्त है यदि भविष्य में उक्त तथ्यों के विपरीत कोई तथ्य पाया जाता है तो उसके लिए प्रथमपक्ष भू-स्वामी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा।

20/02/2011



मोहन चरण

20/02/2011

Ravi Singh




Ravi Singh

अधीन श्री/हरफान जहाद/अधिकार की
 नि.नि. नि.नि. नि.नि.
 अधीन श्री/हरफान जहाद/अधिकार की
 नि.नि. नि.नि. नि.नि.

पड़नेवाला - देवुलपौड़ी / अधीन श्री
 नि.नि. नि.नि.
 चुननेवाला - देवुलपौड़ी / अधीन श्री
 नि.नि. नि.नि.

20/02/2011, वाराणसी

वाराणसी



केला


Registration No. : 8432

Year : 2014

Book No. : 1

0201 रामेश्वर बुन्दाला काठ लिओ जलिये राजीव रंजन कुमार सिंह
रामेश्वर बुन्दाला सिंह
को जलिये राजीव रंजन कुमार सिंह काठ लिओ जलिये राजीव रंजन कुमार सिंह
विकास

Raj. Singh





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AY 027081

5

व. यह कि प्रधानपक्ष/शु-स्वामी के विरुद्ध अथवा उक्त सम्पूर्ण सम्पत्ति के सम्बन्ध में किसी प्रकार का कोई मॉर्ग किसी शासकीय अथवा अर्द्धशासकीय विभाग का देय नहीं है। प्रधानपक्ष द्वारा उपरोक्त कही गई बातों पर विश्वास करते हुए और उसे सही मानते हुए द्वितीयपक्ष/विकासकर्ता ने प्रधानपक्ष को उक्त सम्पूर्ण भूमि का विकसित करने और उसपर बहुमंजिली इमारत बनाने के लिए निम्नलिखित शर्तों पर सहमति दी है।

स. यह कि द्वितीयपक्ष/विकासकर्ता के लिए यह आवश्यक होगा कि वह विकास व निर्माण हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा मानचित्र स्वीकृत करने की तिथि से अथवा पाँच वर्ष यात्रि 60 माह में अनुबन्ध/संविदा के अनुसार सम्पूर्ण निर्माण कार्य को अन्तिम रूप से सम्पादित कर देगा और किसी अपरिहार्य स्थिति में निर्माण कार्य पूर्ण न होने पर शु-स्वामी द्वारा 6 माह का अतिरिक्त समय विकासकर्ता को भवन निर्माण हेतु प्रदान करना होगा। पाँच वर्ष यात्रि 60 माह की उक्त अवधि की गणना जबला पास होने की तिथि या भूमि पर कब्जा प्राप्त होने की तिथि में जो बाद में होगी उस तिथि से की जायेगी।

श्री. अ. च. २०१५

 श्री. अ. च. २०१५

Ravi Singh

Ravi Singh

अधीनश्री श्रीका / इलाहाबाद/ शहीदाजी श्री
 नि.नि. नि.नि
 सलीम की / श्री. श्री. श्री. / सलीम श्री. श्री. श्री.
 नि.नि. नि.नि. नि.नि.

पद्मनाभ - नेमूनेदी / श्री. श्री. श्री.
 नि.नि. नि.नि. नि.नि.
 बुधनेपल्लव - श्री. श्री. श्री. / श्री. श्री. श्री.
 नि.नि. नि.नि. नि.नि.


स. व. प्रतिनिधि

७० नि.०११, वाराणसी

RAJIV GANDHI NATIONAL YOUTH AWARD

नाम: 1426
 आयु: 02/11/2014
 पता: SIK
 न.सं.: 2000
 जन्म तिथि: 18/07/14
 पालिका: 5-17
 जिला: 17
 राज्य:

10 करोड रुपैयाँको लागि
 2 करोड रुपैयाँको लागि
 1 करोड रुपैयाँको लागि
 50 लाख रुपैयाँको लागि
 10 लाख रुपैयाँको लागि



8



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AY 027084

6

1. यह कि प्रथमपक्ष भूमि स्वामी ने यह भी आश्वासन द्वितीयपक्ष/विकासकर्ता को दिया है कि विकास प्राधिकरण से बहुमंजिली इमारत का मानचित्र स्वीकृत होने पर अविलम्ब उक्त भूमि का रिक्त अवस्था में विकास करने एवं उसे बहुमंजिली इमारत का निर्माण करने के लिए द्वितीयपक्ष/विकासकर्ता को उपलब्ध करा देगा। यदि अवस्था में भूखण्ड उपरोक्त द्वितीयपक्ष विकासकर्ता को उपलब्ध कराते समय किसी तरह का कोई बाधाधान किसी व्यक्ति द्वारा उत्पन्न किया जाता है तो उसके सुलझाने का दायित्व भी साथ प्रथमपक्ष/भू-स्वामी का ही होगा।
2. यह द्वितीयपक्ष/विकासकर्ता उपरोक्त भूमि पर बहुमंजिली इमारत बनाने की आवश्यक योजना व विवरण तैयार करेगा तथा विकासकर्ता वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी या अन्य सम्बन्धित विभाग से स्वीकृत करावेगा और उसमें जो भी खर्च आयेगा उसे विकासकर्ता वहन करेगा और इस कार्य को सम्पादित करने में जहाँ भी आवश्यकता होगी प्रथमपक्ष अपनी स्वीकृति प्रदान करेगा।

दिनांक 21-11-2014



दिनांक 21-11-2014

Res. Singh



Res. Singh

अशोक शर्मा / उत्तरकाश प्रभु / लखनऊ भी
 मि.लि. मि.लि. मि.लि.
 सतीश डी. / मि.लि. / मि.लि. / मि.लि.
 मि.लि. मि.लि. मि.लि.

पड़नेवाला - नेमरनेली / जमीन मीठ
 मि.लि. मि.लि.
 मुन्नेजवा - मुन्नेजवा / सतिश डी
 मि.लि. मि.लि.

सह-अधिकारी
 01 मि.लि., वाराणसी

01 मि.लि., वाराणसी



9

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AY 027059

7

3. यह कि द्वितीयपक्ष/विकासकर्ता प्राधिकरण द्वारा स्वीकृति मानचित्र व योजना के अनुसार धन की व्यवस्था एवं तकनीकी एवं अन्य निर्माण एजेन्सी की व्यवस्था उपरोक्त विकास/निर्माण व अन्य प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए उत्तरदायी होगा। इस पर मू-स्वामी का किसी प्रकार की कोई जिम्मेदारी न है व न होगी।
4. यह कि सम्पूर्ण योजना को अन्तिम रूप से मूर्त रूप देने तक जो भी व्यय होगा उसे वहन करने का दायित्व द्वितीयपक्ष का होगा।
5. यह कि उक्त सभी निर्माण पर विकास प्राधिकरण वालणसी द्वारा सभी शर्तों के पालन करने में या निर्माण के दौरान यदि कोई बदलाव होता है तो उसके लिए द्वितीयपक्ष जिम्मेदार होगा। विकास एवं निर्माण कार्य में लगाने वाले समस्त मूल्य एवं जिसमें इमारती सामान, आर्किटेक्ट, इंजीनियर ठेकेदार व सहाय एजेन्सी आदि के खर्च शामिल है द्वितीयपक्ष/विकासकर्ता अदा करेगा व वहन करेगा। यदि स्वीकृति मानचित्र व योजना में किसी भी बदलाव की आवश्यकता विकासकर्ता निर्माण के समय महसूस करता है तो उसके सम्बन्ध में विकासकर्ता को बदलाव का सम्पूर्ण अधिकार होगा।

श्री. जे. ए. सिंह

 श्री. जे. ए. सिंह

Rohit Singh

Rohit Singh

जम्मा करीब / इतराज अलगाव / हाकिमान की
 ति. ति. ति. ति.
 हाकिम की / हाकिम की / हाकिम की / हाकिम की
 ति. ति. ति. ति.

पडनेवाला - देवसोनी / अशोक चौक
 ति. ति. ति. ति.
 मुननेवाला - देवसोनी / अशोक चौक
 ति. ति. ति. ति.

उ.प्र. 02-11 वाराणसी

राज. अधिकारी
 उ.प्र. 02-11, वाराणसी

2784
04/11/2014

श्री 5. अनामिका सिंह का रिश्ता परिवार
श्री 4. अनामिका सिंह का रिश्ता परिवार
श्री 3. अनामिका सिंह का रिश्ता परिवार
श्री 2. अनामिका सिंह का रिश्ता परिवार
श्री 1. अनामिका सिंह का रिश्ता परिवार

107





10

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AY 027063

8

6. यह कि द्वितीयपक्ष/विकासकर्ता ने प्रथमपक्ष/भू-स्वामी को यह विश्वास दिलाया है कि इस प्रस्तावित योजना का निर्माण कार्य न्यूनवर्तता के अनुसार करेगा, तथा निर्मित अपार्टमेंट "हरि इन्क्लेव" के नाम से जाना जायेगा।
7. यह कि उपरोक्त सम्पूर्ण प्रोजेक्ट जय विक्रय किये जाने वाले समस्त क्षेत्रफल में भू-स्वामी का अंश 35 प्रतिशत व विकासकर्ता का अंश 65 प्रतिशत होगा तथा उसी के अनुसार जैसे पैरीज, खुला भाग व पार्किंग जैसी का उपयोग व उपभोग भू-स्वामी व विकासकर्ता व उसके प्रस्तावित क्रेता करेगा परन्तु कामान सुविधा व जगह का विक्रय उभयपक्ष नहीं करेगा। अर्थात् एक स्थल यथावत रहेगा तथा उसमें उनका अंश भी विक्रित नहीं किया जायेगा। जबकि विक्रय किये जाने वाले क्षेत्रफल को उभयपक्ष निर्माण के दौरान सामयिक तैयार कर अपना-अपना अंश लिखित रूप से चिह्नित कर लेते-विकासक आपसी सहमति के आधारपर समझौता पत्र तहरीर किया जायेगा एवं उसी के अनुसार प्रत्येक पक्ष अपने-अपने अंश उपरोक्त को अनुपात के अनुसार अन्वित करने के अधिकारी है व रहेगा।

शैलेष चन्द्र राव



शैलेष चन्द्र राव

Ravi Singh



Ravi Singh

आशोक श्रीवा / इरफान अहमद / शक्तिशर्मा श्री
 नि.नि. नि.नि. नि.नि.
 शहीदा जी / अशोक श्रीवा / शहीदा जी
 नि.नि. नि.नि. नि.नि.

पद्मेवती - देवमनेरी / अशोक श्रीवा
 नि.नि. नि.नि.
 सुवर्णेश्वर - शहीदा जी / शहीदा जी श्रीवा
 नि.नि. नि.नि.

शहीदा जी
 30 नि.नि., बाराणसी

शहीदा जी श्रीवा

क्र. २७४३
 दिनांक २२/११/२०१५
 राज्य ११/११/२०१५
 जिला नारायणी
 तहसील नारायणी
 गा.सं. १००१
 पंचायत नारायणी
 वडा नं. १०१
 तालुका नारायणी
 जिला नारायणी
 राज्य ११/११/२०१५
 तहसील नारायणी

जमा नं. १०१/२०१५
 अ. १०१/२०१५
 अ. १०१/२०१५

नारायणी जिला नारायणी तहसील नारायणी गा.सं. १००१ पंचायत नारायणी वडा नं. १०१ तालुका नारायणी जिला नारायणी राज्य ११/११/२०१५ तहसील नारायणी





11

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AY 027058

9

8. यह कि विकासकर्ता द्वितीयपक्ष को यह अधिकार है व होगा कि वह उक्त भू-खण्ड सम्पत्ति पर सर्विदा/अनुवन्ध के अनुसार उसके विकास व निर्माण हेतु विकास प्राधिकरण/विभिन्न अधिकारी या स्थानीय निकाय के समक्ष उपस्थित होकर द्वितीयपक्ष अपने हस्ताक्षर से मानचित्र प्रस्तुत करें एवं मानचित्र स्वीकृत करने हेतु समस्त औपचारिकताएँ पूर्ण करें जिससे कि मानचित्र स्वीकृत होने के पश्चात् बहुमंजिली इमारत व योजना को मूल रूप विकासकर्ता दे सके। इसमें प्रथमपक्ष को न कोई आपत्ति है और न ही अविष्ट में होगी।

9. यह कि द्वितीयपक्ष/विकासकर्ता के हिस्से में आये 65 प्रतिशत निर्मित क्षेत्रफल तथा उसके अनुपातिक व अधिभाज्य भूमि को विक्रय करके विक्रय मूल्य द्वितीयपक्ष विकासकर्ता के नाम से बसुलने के लिए प्रथमपक्ष-भू-स्वामी ने समेट इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड को अधिकृत करके अपना मुख्तारैजान नियुक्त किया। उक्त मुख्तारैजान को यह अधिकार होगा कि वे द्वितीयपक्ष/विकासकर्ता के हिस्से में आने वाले निर्मित क्षेत्रफल व अनुपातिक भूमि के बाबत सट्टा दृकररनामा करें तथा विक्रय विलेख तहरीर करके पंजीकृत कराये तथा विक्रय मूल्य द्वितीयपक्ष/विकासकर्ता के नाम से बसुल करें। प्रथमपक्ष-भू-स्वामी द्वारा

शैलेश चन्द्र शर्मा



शैलेश चन्द्र शर्मा

शैलेश चन्द्र शर्मा

शैलेश चन्द्र शर्मा

शैलेश चन्द्र शर्मा



शैलेश चन्द्र शर्मा

अधीकारी / इलाका अधिकारी / अधिकारी की
नि.नि. नि.नि. नि.नि.
सहायक अधिकारी / अधिकारी / अधिकारी
नि.नि. नि.नि. नि.नि.

बढ़नेवाला - देवतनेरी / जहाँके श्री०
नि.नि. नि.नि. नि.नि.
मुन्सिफ/अधीकारी / अधिकारी श्री०
नि.नि. नि.नि. नि.नि.

2014-11 कागज़ी

शैलेश चन्द्र शर्मा

20/11/14, अराधना

12



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AY 027135

10

दिया गया यह अधिकार न तो अख्तियार किया जा सकेगा। न ही परिवर्तित ही किया जा सकेगा।

10. यह कि विक्रय किन्हीं जाने वाले निर्मित क्षेत्रफल एवं भूमि के आवुपातिक अंश जो विकासकर्ता को 65 प्रतिशत अंश में प्राप्त हुए हैं को विक्रय अथवा अन्तरण करने व विक्रय धनराशि प्राप्त करने व आवंटित कर अधिन धनराशि प्राप्त करते व उक्त सम्बन्ध में उचित अनुबन्ध करने व अधिन धनराशि प्राप्त करने का सम्पूर्ण अधिकार प्रथमपक्ष/भू-स्वामी द्वारा द्वितीयपक्ष विकासकर्ता को सम्पूर्ण रूप से विलेख के द्वारा प्रदत्त किया जा रहा है द्वितीयपक्ष विकासकर्ता द्वारा अपने 65 प्रतिशत निर्मित क्षेत्रफल तथा उसके आवुपातिक व अधिभाजित भूमि के विक्रय में प्रथमपक्ष/भू-स्वामी अविष्य में कभी कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं करेंगे।

11. यह कि इसी प्रकार भू-स्वामी अपने अंश 35 प्रतिशत निर्मित भाग तथा उसके आवुपातिक भूमि को आवंटित करने व विक्रय करने अथवा स्वयं इस्तेमाल करने का स्वतंत्र रहने एवं भू-स्वामी द्वारा जो विक्रय पत्र उसके सम्भावित क्षेत्र के पक्ष में निष्पादित किया जावेगा इसमें

श्रीलेख चन्द्र शर्मा



श्रीलेख चन्द्र शर्मा

श्रीलेख चन्द्र शर्मा
श्रीलेख चन्द्र शर्मा



श्रीलेख चन्द्र शर्मा

असोक शर्मा / इरफान उद्दौल / सहीबुल्ला की
 नि.सि. नि.सि. नि.सि.
 सहीबुल्ला की / इरफान उद्दौल / असोक शर्मा
 नि.सि. नि.सि. नि.सि.

पद्मेश्वरी - रेनुसनेरी / असोक शर्मा
 नि.सि. नि.सि.
 रेनुसनेरी - पद्मेश्वरी / सहीबुल्ला की
 नि.सि. नि.सि.

सहायक नि.सि.

सहायक नि.सि.

40/10/11, गारापली

12

नाम
 पता
 शहर
 जिला
 राज्य

1313
 02/11/2014
 2000/-
 मीटर

धर्मशाला यादव प्रिं. लाल के विवेकानंद
 धर्मशाला के माध्यम से
 आर्थिक सहायता प्रदान की
 जा रही है।





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AY 027031

11

द्वितीयपक्ष/विकासकर्ता द्वारा किसी प्रकार का कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं किया जायेगा।

12. यह कि प्रथमपक्ष भू-स्वामी को भू-तल पर स्थित पार्किंग में 35 प्रतिशत पार्किंग स्पॉट तथा द्वितीयपक्ष/विकासकर्ता को 65 प्रतिशत पार्किंग स्पॉट प्राप्त होंगे।
13. यह कि पक्षगण को प्राप्त होने वाले वो प्लॉट जो सम्मिलित रूप से प्रथमपक्ष व द्वितीयपक्ष को प्राप्त होंगे का विक्रय किलेज उन पक्षों द्वारा सम्मिलित रूप से किया जायेगा जिन्हें वे प्लॉट सम्मिलित रूप से प्राप्त हुई है।
14. यह कि द्वितीयपक्ष विकासकर्ता द्वारा प्रस्तावित भवन में प्रथमपक्ष भू-स्वामियों का तयशुदा 35 प्रतिशत निर्मित क्षेत्रफल विकासकर्ता द्वारा मानक के अनुसार पूर्ण करकर प्रथमपक्ष को हस्तगत करेगा।
15. यह कि प्रथमपक्ष/भू-स्वामी द्वितीयपक्ष/विकासकर्ता को प्रस्तावित मानचित्र व योजना के अनुसार भूखण्ड निर्माण हेतु अथवा दखल देने के पूर्व सम्पत्ति भूखण्ड के बाबत समस्त टैक्स, सरचार्ज या उसपर किसी

श्री. लोका-चन्द्र शर्मा



श्री. लोका-चन्द्र शर्मा

श्री. राव सिंह



श्री. राव सिंह

श्री. लोका-चन्द्र शर्मा / श्री. लोका-चन्द्र शर्मा
 श्री. लोका-चन्द्र शर्मा / श्री. लोका-चन्द्र शर्मा
 श्री. लोका-चन्द्र शर्मा / श्री. लोका-चन्द्र शर्मा

श्री. लोका-चन्द्र शर्मा / श्री. लोका-चन्द्र शर्मा
 श्री. लोका-चन्द्र शर्मा / श्री. लोका-चन्द्र शर्मा


श्री. लोका-चन्द्र शर्मा

श्री. लोका-चन्द्र शर्मा

1998
13/11/2004

895
विशेष अन्तःपुराणिक कारिका
2000-1
विदेशीय वीर्य वंश
प्रमाणिक अंतःपुराणिक
कारिका की पारदर्शिक
नगद परत विहार

भारत प्रसिद्ध मिश्र
कलेक्टो अन्तःपुराणिक
श्री. नं. 196/54/204





15

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AY 026988

13

सोसाइटी द्वारा वहल किया जायेगा व सोसाइटी के नियम व शर्तों का अनुपालन करने के लिए श्रेष्ठ के क्रेतागण बाध्य होंगे।

19. यह कि यदि उक्त निर्माण हेतु निश्चित अवधि के दौरान प्रथमपक्ष के स्वत्व, स्वामित्व या अध्यासन में बृष्टि होने अथवा निर्माण के सम्बन्ध में किसी विभाग या न्यायालय द्वारा रोक लगाया जाता है या निर्माण के दौरान कोई ऐसी अप्रत्याशित घटना घटती है या देवी अपघात भूकम्प या शहर के असाधारण परिस्थिति होने की वजह से कार्य लज जाने इत्यादि की वजह से निर्माण कार्य बाधित होता है तो उक्त अवधि द्वितीयपक्ष विकासकर्ता को प्राप्त निर्माण कार्य के उक्त समबावधि में सम्मिलित नहीं होगा अपितु उक्त अवधि निश्चित अवधि के अलावा अतिरिक्त अवधि के रूप में द्वितीयपक्ष को प्राप्त होगी। जिससे कि द्वितीयपक्ष उपरोक्तानुसार अपना निर्माण करा सके।

20. यह कि प्रस्तावित निर्माण के बाबत विकास प्राधिकरण द्वारा जो भी कम्पाउण्डिंग शुल्क निर्धारित होगा उसकी अदायगी प्रथमपक्ष व द्वितीयपक्ष अपने-अपने हिस्से का स्वयं करेंगे।

20/02/21-4-32114



20/02/21-4-32114

20/02/21-4-32114

Ratan Singh



Ratan Singh

अशोक श्रीवा / इरफान अहमद / उपनिर्देशक श्री
नि.नि.
सतीश श्री / अ.प. / उपनिर्देशक श्री
नि.नि.


सकुनेवाला - पंचसमैही / अशोक श्री
नि.नि.
मुनेवाला-म.प. / प्रदीप श्री
नि.नि.

30/02/21, वासपती

20/02/21, इरफान

82480
2011/11/20/11
डी.डी.
रु. 1000

श्री. ए. ए. ए. ए.
विदेशीक रानीरंजनकुमार
एन. ए. ए. ए. ए.
कानोनी-पुणे
पेना बिना





16

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH


U 589009

14

21. यह कि किसी कानूनी बाधका की वजह से या भू-स्वामी के मालिकाना हक में किसी विवाद के कारण यदि प्रस्तावित आवासीय कामप्लेक्स का निर्माण बाधित होता है या पूर्ण नहीं हो पाता है तो द्वितीयपक्ष/विकसकर्ता द्वारा उस समय तक व्यय किये गये धन को द्वितीयपक्ष/विकसकर्ता को प्रथमपक्ष/भू-स्वामी की उक्त सम्पत्ति से वसूलने का अधिकार होगा।
22. यह कि प्रस्तावित आवासीय इमारत के निर्मित क्षेत्रफल में किसी प्रकार की घटोतरी या बढ़ोतरी होती है तो प्रथमपक्ष/भू-स्वामी तथा द्वितीयपक्ष/विकसकर्ता का अंश उसी अनुपात में बढ़ेगा या घटेगा।
23. यह कि उपरोक्त डेवलपर एजीमेंट में वर्णित रकबा के अलावा यदि भू-स्वामी का और ज्यादा रकबा निकलता है तो प्रथमपक्ष/भू-स्वामी व द्वितीयपक्ष/डेवलपर उक्त रकबा का इस्तेमाल सेट बैक के रूप में करेंगे।

श्रीलक्ष्मी देवी

 श्रीलक्ष्मी देवी

Ravi Singh

 Ravi Singh

अशोक शर्मा / इरफान अहमद / सविता देवी
 मि.लि. मि.लि. मि.लि.
 सतीश शर्मा / शशि शर्मा / सतीश शर्मा
 मि.लि. मि.लि. मि.लि.

पड़नेवाला - नैनुमनेडी / जरीक शीत
 मि.लि. मि.लि.
 मुननेवाला - ए.बी.सिंह / पारिवारिक शीत
 मि.लि. मि.लि.

2-11-2014 नयापत्ती

22490
02/11/2014

श्री 5

विशेषज्ञ 0 या 1 दिवसीय के


0001 - विशेषज्ञ लक्ष्मी देव

अथवा लक्ष्मी देव

अथवा लक्ष्मी देव

विशेषज्ञ लक्ष्मी देव

18





17

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

U 589008

15

24. यह कि निर्माण कार्य पूर्ण कराने की जिम्मेदारी द्वितीयपक्ष/विकासकर्ता पर होगी उनकी अनुपस्थिति पर उनके प्रतिनिधि या स्वामिपक्षा द्वारा कार्य पूर्ण कराया जावेगा और उक्त प्रतिनिधि या स्वामिपक्षा को इस अनुबन्ध के अन्तर्गत उक्त कार्य पूर्ण करना होगा तथा उसे वे सभी अधिकार प्राप्त होंगे जो द्वितीयपक्ष विकासकर्ता को इस अनुबन्ध द्वारा प्राप्त है।
25. यह कि प्रथमपक्ष/स्वामी ने यह भी स्वीकार किया है व वचन दिया है कि उसका भी यह दायित्व है कि वह सम्पूर्ण भवन पर अस्तित्व सम्पूर्ण कार्य योजना व निर्माण कार्य द्वितीयपक्ष/विकासकर्ता द्वारा कराये जाने तक यथावत रहे अर्थात् उक्त निर्माण की अर्ध के दौरान कार्य प्रगति के मध्य अपने आधिकार्य तक को हस्तान्तरित नहीं करेगा अपितु अनुबन्ध संविदा की शर्तों को उभयपक्ष अक्षरशः पालन करेगा एवं उनके न रहने पर उक्त समस्त शर्तों के अनुपालन का दायित्व उभयपक्ष व उनके उत्तराधिकारियों एवं स्वामिपक्षों का रहेगा।
26. यह कि यदि निर्माण कार्य के दौरान किसी पक्ष की मृत्यु हो जाने अवया किसी अभिपक्ष घटना के घटित होने की स्थिति में उभयपक्ष के

शेले 21/11/2014



शेले 21/11/2014

शेले 21/11/2014



शेले 21/11/2014

अशोक श्रीवा / इरफान अहमद / राजिकांत के
 नि.लि. नि.लि. नि.लि.
 ललीत श्री / आर.के. शर्मा / रवींद्र शर्मा
 नि.लि. नि.लि. नि.लि.

पद्मेवाला - रेनुमनेरी / जयदेव शर्मा
 नि.लि. नि.लि.
 सुननेवाला-पद्मेवाला / शशीकान्त शर्मा
 नि.लि. नि.लि.

शेले 21/11/2014
 59 मि 11, वाराणसी

शेले 21/11/2014

भारत सरकार
प्रति

पत्र
दिनांक
स्थान
संख्या

23491
08/11/2004

श्री
श्री २००४
श्री २००४
श्री २००४
श्री २००४





18

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

U 589005

16

उत्तराधिकारी तथा स्थापनापत्रों या अधिकृत व्यक्ति अनुबन्ध की शर्तों का पालन करने हेतु उत्तरदायी रहेंगे।

27. यह कि निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने पर द्वितीयपक्ष विकासकर्ता अपनी समस्त निर्माण सामग्री उठाने का अधिकारी है व होगा। उक्त समस्त सामग्री को स्थल स्वामित्व का अध्वारण से कोई सम्बन्ध भू-स्वामी/प्रथमपक्ष का नहीं होगा।
28. यह कि प्रथमपक्ष भू-स्वामी व द्वितीयपक्ष विकासकर्ता अपने अपने हिस्से में आने वाले निर्मित क्षेत्रफल के बावत सभी प्रकार के इन्कम टैक्स सर्विस टैक्स फेन्ड व राज्य सरकार द्वारा आरोपित कोई अन्य टैक्स की अदायगी अपने हिस्से के अनुपात में करेंगे। एक पक्ष के निर्मित क्षेत्रफल पर लगाने वाले किसी भी प्रकार के टैक्स का दूसरे पक्ष से कोई वास्ता सरोकर नहीं रहेगा।
29. यह कि प्रथमपक्ष भू-स्वामी निर्मित क्षेत्रफल के अलावा जैसे छत, सीढ़ी और पार्किंग व लिफ्ट जैसी सारी सुविधा कामन होगी इसमें किसी का कोई आधिपत्य नहीं होगा।

शैलेश चन्द्र



शैलेश चन्द्र

Ran Singh



Ran Singh

अशोक शीवा / इन्कान अहमद / शाहिदाका श्री
 नि.नि. नि.नि. नि.नि.
 कबीर श्री / शरीफ अहमद / शरीफ शरीफिका
 नि.नि. नि.नि. नि.नि.

पुनर्वसु - पुनर्वसु / अशोक श्री
 नि.नि. नि.नि. नि.नि.
 पुनर्वसु पुनर्वसु / शरीफ अहमद श्री
 नि.नि. नि.नि. नि.नि.

नि.नि.
 10/11/14, अहमद

10/11/14, अहमद

22492
02/11/2014

श्री श्री
राज्य सरकार के माध्यम से
श्री श्री
श्री श्री





19

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

U 589006

17

30. यह कि निर्मित क्षेत्रफल के पार्किंग के प्रतिशत में अगर जगह कम या ज्यादा होने की स्थिति में दोनों पक्षों द्वारा एक दूसरे को बाजार भाव से भुगतान करना होगा।
31. यह कि यदि द्वितीयपक्ष/विकासकर्ता द्वारा नक्शे के अतिरिक्त जो भी निर्माण कराया जाता है तो निर्मित क्षेत्रफल का 3.5 प्रतिशत प्रथमपक्ष व 6.5 प्रतिशत द्वितीय पक्ष का होगा। अगर किसी भी पक्ष के हिस्से में निर्मित क्षेत्रफल के प्रतिशत का अन्तर होने पर दोनों ही पक्ष एक दूसरे को बाजार भाव से भुगतान करेंगे।
32. यह कि वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी के रुल के अनुसार जो नक्शा पास होगा उसमें बाढ़ जो कम्पाउण्डिंग निर्माण चार्ज लगेगा उसे प्रथमपक्ष व द्वितीयपक्ष द्वारा अपने-अपने हिस्से को अनुसार देंगे।
33. यह कि नक्शे के अतिरिक्त निर्मित क्षेत्रफल के हिस्सा के छठवरे में फुट का भी अन्तर आता है तो उसका भुगतान दोनों पक्ष एक दूसरे को बाजार भाव से करेंगे। एवं निर्मित क्षेत्रफल के निर्माण एवं विज्जी के समय जो भी सरकारी व्यवधान/ताईवण इत्यादि पर खर्च लगेगा उसे

शैलेश कुमार
शैलेश कुमार

Rohit Singh

Rohit Singh

व्यक्ति/श्री/इस्थान/सदस्य/संस्था के
नि.दि. नि.दि. नि.दि.
व्यक्ति/श्री/इस्थान/सदस्य/संस्था के
नि.दि. नि.दि. नि.दि.

पड़नेवाल - रेनुसनेही / कांठे की
नि.दि. नि.दि.
मुन्नेवाल - रेनुसनेही / कांठे की
नि.दि. नि.दि.

उत्तर प्रदेश सरकार

कांठे की
कांठे की



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

U 589007

प्रथमपक्ष व द्वितीय पक्ष को अपने-अपने अनुपात के हिसाब से वहन करना पड़ेगा।

34. यह कि कागज सुविधा जैसे पी लिफ्ट, जनरेटर, ट्रांसफार्मर में जो खर्च होगा उस खर्च का वहन दोनों पक्ष अपने-अपने क्षेत्रफल के अनुसार करेंगे। साथि प्रथमपक्ष 35 प्रतिशत व द्वितीयपक्ष 65 प्रतिशत खर्च वहन करेगा।

35. यह कि इस विकास अनुबन्ध के बाधु बटि पक्षगण के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होत है तो उक्त विवाद का लिप्यंतर पक्षगण आपसी पंचाट के द्वारा निस्तारित करेंगे उक्त पंचाट में दोनों पक्षगण एक-एक सदस्य नामित करेंगे तथा उक्त दोनों सदस्यों द्वारा एक तीसरा सदस्य नामित किया जायेगा। उक्त पंचाट द्वारा दिया गया निर्णय हम पक्षगण

शैलेश चन्द 214

 शैलेश चन्द 214

Rohit Singh

 Rohit Singh

सरोज श्रीवा / इलाहाबाद / परिषद का
 नि.वि. नि.वि. नि.वि.
 सतीश श्री / ...
 नि.वि. नि.वि. नि.वि.

पद्मेवला - नुसनेरी / ...
 नि.वि. नि.वि.
 मुन्नेवला - ...
 नि.वि. नि.वि.
 एच.वि. II ...

22994
0 2/10/2001

श्री
श्री २००१
श्री २००१
श्री २००१
श्री २००१





27

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

U 589001

19

पर बाध्यकारी होगा तथा उक्त पंजाब पर Arbitration and Reconciliation Act 1996 लागू होगा।

36. यह कि विकास अनुबन्ध शुदा जायदाद मुख्य सड़क से 200 मीटर बाद नगर निगम सीमा के बाहर स्थित है। सरकारी दर से जायदाद मुचईया की कीमत रु0 7,500/- प्रतिवर्गमीटर की दर से रकबा 1466.17 वर्गमीटर की कीमत रु0 1,09,96275/- रूपया होता है इसलिये विचयानुसार रु0 1,09,97000/-रूपया पर 7 प्रतिशत की दर से रु0 7,70,000/-रूपये का स्टाम्प शुल्क अदा किया जा रहा है। अदा किये जाने वाला कुल स्टाम्प में से रु0 7,00,000/-रूपया का ई-स्टाम्प जिसका नम्बर IN-UP00703911224581M द्वारा अदा किया गया है तथा शेष रु0 70,000/-रूपया जरिये स्टाम्प पेपर अदा किया गया है। अनुबन्ध शुदा जायदाद खुली भूमि है जिसमें कोई निर्माण नहीं है तथा किसी विक्रित मार्ग पर स्थित नहीं है। अनुबन्ध शुदा सम्पत्ति व्यावसायिक क्षेत्र में नहीं है व राष्ट्रीय राजमार्ग, प्रान्तीय/जलपदीय मार्ग पक्की सड़क व खण्डला/कुन्टर लक्षिक मार्ग पर स्थित नहीं है।

श्री. लाल चन्द राय



श्री. लाल चन्द राय

Ravi Singh



Ravi Singh

असोज चौधरी / इलाका अधिकारी / शहिकान्त की नि.दि.
 सतीश श्री. / सहायक अधिकारी / सतीश चंद्रशेखर नि.दि.

पद्मेश चन्द - सहायक नि.दि. / अशोक श्री. नि.दि.
 सुनील चन्द - सहायक नि.दि. / राजेश श्री. नि.दि.

उ0 नि0 II, बाराबनसी

22938
02/11/2014

श्री
श्री अशोक चंद्र मिश्र के
02001 निदेशक एजीएचएन
समाप्त 12/11/14 को आदेशित
आदेशों पर कार्यवाही के लिए
यह प्रमाण पत्र



28



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

U 589002

20

इस दस्तावेज उभयपक्ष के स्वस्थ दिल व मन से भली-भाँति सोच विचार कर दिये हुए अनुबंध में उल्लिखित शर्तों को पढ़ व पढ़ाकर व सुन व समझकर इसके काबूली प्रभाव से पूरी तरह वाकिफ होकर यह डेवलपर्स एजीमेंट पर समझ गवाहान विप्रादित कर दिया ताकि सबद रहे व क्वत क्वरत पर काम आठे व प्रमाण रहे।

विवरण सम्पत्ति जिसके बाबत यह डेवलपर्स एजीमेंट तहसीर हो रहा है

आराजी नम्बर मि० 60 रकबा 0.07 एकर व आराजी नम्बर मि० 61 रकबा 0.04 एकर व आराजी नम्बर मि० 62 रकबा 0.76 एकर व आराजी नम्बर मि० 63 रकबा 0.58 एकर यानि कुल 4 गाँव रकबा 0.145 एकर यानि 11.6 दिक्क यानि 15776 वर्गमीटर यानि 1466.17 वर्गमीटर दिक्क मौजा डाफ़ी, परगना देहात अमानत, तहसील व जिला-वाराणसी जिराली चौहद्दी विन्नालिखित है:-

शैलेश चन्द्र २५



शैलेश चन्द्र २५

Ravi Singh



Ravi Singh

अशोक शर्मा / दुर्गाचरण शर्मा / शक्तिराम शर्मा
 नि.दि. नि.दि.
 कलीश शर्मा / ... / ...
 नि.दि. नि.दि.

पुनर्माफ़ी / जालिम शर्मा / ...
 मुकदमा नं० ... / ...
 नि.दि. नि.दि.

शैलेश चन्द्र
 च० नि० II, वाराणसी

22496
07112014

श्री
श्री ७२०७ २०१० ०१० ०१०
२००१ विदेशीक २०१० २०१०
अधिक मिक ०१० ०१० ०१०
श्री ०१० ०१० ०१० ०१०
०१० ०१० ०१० ०१०

श्री ०१० ०१० ०१० ०१०





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

U 589003

21

- पूरव :- जमीन अजीत सिंह वगैरह।
- पश्चिमी :- जमीन अकबाल बहायन सिंह।
- उत्तर :- जमीन विभूति बहायन सिंह।
- दक्षिण :- जमीन अजयेश चन्द राय।

तहरीर तारीख :- 10.11.2014

साही सं० 1:-

नाम - राजीव राय
 पिता का नाम - श्री श्रीव सागर राय
 पूरा पता - प्रो. पी. टिकरी BHO. वाराणसी

अंश 21-4-5214



अंश 21-4-5214

अंश 21-4-5214



अंश 21-4-5214

अधिकारी / इलाहाबाद / अंश 21-4-5214
 नि.दि. नि.दि. नि.दि.
 अंश 21-4-5214 / अंश 21-4-5214 / अंश 21-4-5214
 नि.दि. नि.दि. नि.दि.

अधिकारी - अंश 21-4-5214 / अंश 21-4-5214 / अंश 21-4-5214
 नि.दि. नि.दि. नि.दि.
 अंश 21-4-5214 / अंश 21-4-5214 / अंश 21-4-5214
 नि.दि. नि.दि. नि.दि.

अंश 21-4-5214

अंश 21-4-5214
 अंश 21-4-5214

21499
०७ 11/20/14

SI
२००० रु विवेक रीतिरुपाय
२००० रु विवेक रीतिरुपाय
२००० रु विवेक रीतिरुपाय
२००० रु विवेक रीतिरुपाय



30



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

U 589004

22

खाली सं० 2:-

नाम - सुनील कुमार
 पिता का नाम - श्री माधव गोविंद राम
 पूरा पता - ग्राम - डोल्फा, अंत
 पटना (बिहार)

मसबिदाकर्ता:-

Ritesh Rai
 रितेश कुमार राय एडवोकेट
 कलेक्ट्रेट कचहरी, वाराणसी।

शेलेडा-403214



शेलेडा-403214

Ravi Singh



Ravi Singh

असाक भीवा / इतराक उपरान्त / मासिकाना भी
 निति निति निति
 नतीक भी / असाक उपरान्त / असाक उपरान्त
 निति निति निति

असाक भीवा - असाक भीवा / असाक भीवा
 निति निति निति
 असाक भीवा - असाक भीवा / असाक भीवा
 निति निति निति

उपरोक्त वाराणसी


उपरोक्त वाराणसी

22498
0211125IV

रिजिस्ट्रार
2001

रिजिस्ट्रार प्रमाणित किया जाता है कि
रिजिस्ट्रार कार्यालय में
मौजूद सभी दस्तावेजों को
पढ़ने की सुविधा होगी
दिनांक

रिजिस्ट्रार कार्यालय में
मौजूद सभी दस्तावेजों को
पढ़ने की सुविधा होगी
दिनांक



31




उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

U 589010

23

टाइपकर्ता :-


पिंतेन्द्र कुमार

सेंट्रल बॉट डिपॉजिट, दुकान नं० 5 वाराणसी।


प्रदायक

श्री. ले. शं. चन्द्र शर्मा




श्री. ले. शं. चन्द्र शर्मा

द्वितीयक


Raj. Singh



Raj. Singh


 कर्ता/सहायक / हस्ताक्षर / अधिकाता श्री
 नि.नि. नि.नि. नि.नि.
 कर्ता/सहायक / अधिकाता श्री
 नि.नि. नि.नि. नि.नि.

पक्षधर - लेखनी / जहाँ
 नि.नि. नि.नि.
 लेखनी / जहाँ
 नि.नि. नि.नि.

30 नो 11, वाराणसी

32




उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

52AC 613396

नक्शा नजरी

अर्धी बन्दा मि 60 रुब 8.87 एर व अर्धी बन्दा मि 61 रुब 8.84 एर व अर्धी बन्दा मि 62 रुब 8.76 एर व अर्धी बन्दा मि 63 रुब 8.58 एर खने कुल 4 रुब रुब 8.145 एर खने 11.5 रुब खने 13776 अर्धी खने 1466.17 अर्धीएर एर खने खने, एरुब एरुब अरुब, एरुब व एरुब-एरुब विलेने खने खने है -

जमीन विभूति नरायन सिंह



जमीन अमरेश चन्द्र राय

श्रीलक्ष्मी चन्द्र राय

भौतिक शोका / डायग्नोसिस / जमिन्दार पी
नि.नि. नि.नि.
सादीस पी / जमाना नि.नि.
नि.नि.

च 0 नि 0 II, वारसनी

Ravind Singh

सर्वकर्ता - विरिच कुपण
दुसरा वन्दा 2
अर्धीएर अर्धीएर, वारा

पुस्तिका - नि.नि. / अर्धीएर पी०
नि.नि.०
दुसरा वन्दा - नि.नि. / अर्धीएर पी०
नि.नि.०

च 0 नि 0 II, वारसनी

REVERSE

22861
11/11/2014

श्री
श्री १०५०५० श्री ०५०
१०। आपसहित कागजातों
पुस्तक विभाग

आज दिनांक 11/11/2014 को
वही सं. 1 जिल्द सं. 6713
पृष्ठ सं. 105 से 154 पर क्रमांक 8432
रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रार-अधिकारी के हस्ताक्षर

महेन्द्र प्रताप यादव

SRO2
Sub Registrar-II VNS
11/11/2014



कलकत्ता शीला / इलाहाबाद / काशी / बनारस
मि.जि. / मि.जि. / मि.जि. / मि.जि.

श्री १०५०५०, वाराणसी
26/11/14